आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

का.आ. 398(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित मेथनॉल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात-:

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) यह आदेश 3 अगस्त, 2022 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. 13012/3/2021-रसा.II]

समीर कुमार बिश्वास, अपर सचिव

नोट: मेथनॉल के लिए मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2793 (अ) दिनांक 5 अगस्त, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था। इसके बाद इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 345(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2020, का.आ. 2181(अ) दिनांक 1 जुलाई, 2020, का.आ. 3795(अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 और का.आ. 1681 (अ) दिनांक 19 अप्रैल, 2021 द्वारा संशोधित किया गया।

ORDER

New Delhi, the 31st January, 2022

S.O. 398(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Methanol (Quality Control) Order, 2019 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 3rd August, 2022."

[F. No. 13012/3/2021-Chem.II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Addl. Secy.

Note: The principal order for Methanol was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 2793(E) dated the 5th August, 2019. Subsequently amended vide notification number S.O. 345(E) dated the 24th January, 2020, S.O. 2181(E) dated 1st July, 2020, S.O. 3795(E) dated the 22nd October, 2020 and S.O. 1681(E) dated 19th April, 2021.